रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2011/पौष 15, 1932
No. 3] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2011/PAUSA 15, 1932

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 3(अ).—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु प्रक्रिया) विनियम, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु प्रक्रिया) विनियम, 2010 कहा जा सकता है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु प्रक्रिया) विनियम, 1998 में खंड (v) के लिए नियम 3 में, उप-नियम (1) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, नामत: :—

"(v) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में सचिव अथवा अपर सचिव ।"

[फा. सं. 5/1/2010-डीआरटी]

रवनीत कौर, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी.—प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 32(अ), द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 1998 को प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 646(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2000 द्वारा संशोधित हुए थे ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2011

G.S.R. 3(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 read with clause (e) of sub-section (2) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Tribunal (Procedure for appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Rules, 1998, namely :—

1. (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Rules, 1998, in rule 3, in sub-rule (1), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely :—

"(v) Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services."

[F. No. 5/1/2010-DRT]

RAVNEET KAUR, Jt. Secy.

Footnote.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 32(E), dated 19th January, 1998 and subsequently amended, *vide* G.S.R. 646(E), dated 2nd August, 2000.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.